



ई-1347330

संख्या-10/2026/419/52-1-2026

प्रेषक,

अरविन्द कुमार गिरि,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत निदेशालय अधिष्ठान के मानक मद-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग द्वारा निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1563/अ०सं०क०नि०-52/लेखा E-620602/ बजट प्रावि०-पुर्न०/2026-27 दिनांक 11.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय-01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू० 300.00 लाख के सापेक्ष रू० 100.00 लाख मात्र की सम्भावित उपलब्ध बचत से लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के मानक मद-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में अतिरिक्त धनराशि रू० 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय-01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू० 300.00 लाख के सापेक्ष रू० 100.00 लाख मात्र की सम्भावित उपलब्ध बचत से

लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के मानक मद-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में अतिरिक्त धनराशि रु० 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) का संलग्न बी०एम०-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
5. जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
6. धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन 03- अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के मानक मद-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: बी०एम०-9 प्रपत्र।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार गिरि)

अनु सचिव।

संख्या-419(1)/बावन-1-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
- 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

- 4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार गिरि)
अनु सचिव।

shasanadesh.up.gov.in